

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म

नाम: सखार बनाम: जोगोत्या
मु.नं. 3/24 चास. 13/1804

गस्ते लखी सखार प्रेस, शीला दिनांक 28.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

28/11/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.12.25 को पेश हो।

19.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.01.26 को पेश हो।

23.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.02.26 को पेश हो।

13-02-26 पत्रावली पेश हुई। पक्षधरान से वार-2 भावज दिलवारी गरि। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से लखी में कर्षित है। पक्षों से वार-2 के निर्देशों के बावजूद भी सखार प्रेस, शीला के तलवान लम्बन पेश नहीं किसे। और निर्देशों के बावजूद भी इन निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि पक्षों पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षधरान से अदम हाजरी व अदम फीकी में खारिज की जाती है। पत्रावली को लल सुचारु होकर शीला इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)